न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क्र. 1187 / I / 2007 / पुनरीक्षण Res. 1581-I/09

लक्ष्मीदेवी .... आवेदिका

विरुद्ध

मध्यप्रदेश शासन .... अनावेदक

आवेदन धारा 35 (3) सहपठित धारा 32 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959 के अंतर्गत

श्रीमान महोदय,

सेवा में प्रार्थिया का आवेदन निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

1. यहकि, उपरोक्त प्रकरण में दिनांक 24.10.09 तारीख पेशी नियत थी, परंतु शनिवार होने के कारण तारीख पेशी दि. 26.10.09 नियत की गई।
2. यह कि, दिनांक 26.10.09 को प्रार्थिया के अभिभाषक ग्वालियर से बाहर थे, और प्रार्थिया के मुख्तयार आम कैलाश सिंहल बीमार थे इस कारण प्रार्थिया ने दिनांक 26.10.09 को स्वयं उपस्थित होकर तारीख पेशी एक माह की दिये जाने के विषय में माननीय न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया, और दो घण्टे माननीय न्यायालय में उपस्थित रही परंतु प्रार्थिया की *mother-in-law* की मृत्यु हो जाने के कारण परिस्थितिवश न्यायालय से आना पड़ा।
3. यह कि, माननीय न्यायालय द्वारा दूसरे दिन की तारीख पेशी यानि दिनांक 27.10.09 नियत कर दी गई जिसका प्रार्थिया को ज्ञान नहीं हो सका, क्योंकि आवेदन में प्रार्थिया ने एक माह की तारीख पेशी दिये जाने की प्रार्थना की थी, एवं परिस्थितिवश प्रार्थिया का अपने अभिभाषक से भी संपर्क नहीं हो पाया। इस कारण दिनांक 27.10.09 प्रकरण अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया।
4. यह कि, सामायिक परिस्थितियां इस प्रकार संकलित हो गईं थीं जो प्रार्थिया के अधिकार से बाहर थीं। इस कारण प्रार्थिया की परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुये, अनुपस्थिति क्षमा योग्य है, क्षमा की जाकर प्रकरण को पुनः पेशी में लिये जाने की आज्ञा प्रदान की जावे। अन्यथा प्रार्थिया न्याय से वंचित हो जावेगी।
5. यह कि, प्रार्थिया का आवेदन सद्भावना पर आधारित होने के कारण स्वीकार योग्य है।

अतः निवेदन है कि, प्रार्थिया की उपरोक्त परिस्थितियों के कारण अनुपस्थिति क्षमा की जाकर प्रकरण को पुनः पेशी में लिये जाने के आदेश से आदेशित करने की कृपा करें।

दिनांक : 20/11/2009

प्रार्थिया

लक्ष्मीदेवी

द्वारा अभिभाषक

संदीप कुलश्रेष्ठ एडवोकेट

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

पुर्नस्थापन प्रकरण कमांक : 1581/एक/2009 जिला शिवपुरी

स्थान तथा दिनाक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
21.4.2014	न्यायालयीन प्रकरण कमांक 1187–एक/2007 में पारित आदेश दिनांक 27–10–2009 से प्रकरण अदम पैरबी में निरस्त हुआ है, जिसके पुर्नस्थापन हेतु म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 35 (3) का आवेदन न्यायालय में दिनांक 20.11.2009 को मय शपथ पत्र के प्रस्तुत किया गया है। आवेदिका के अभिभाषक को पुर्नस्थापन आवेदन पर सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया। 2/ पुर्नस्थापन आवेदन में वर्णित तथ्यों पर तथा आवेदिका के अभिभाषक व्दारा दिये गये तर्कों पर विचार करने से न्यायालयीन प्रकरण कमांक 1187–एक/2007 पुर्नस्थापित किये जाने में किसी प्रकार की बैधानिक अड़चन नहीं है। प्रकरण पुर्नस्थापित किया जाता है। सदस्य	